

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 8]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 फरवरी 2022—फाल्गुन 6, शक 1943

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर (पं.), जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

प्ररूप—एक (ब)

बालाघाट, दिनांक 1 नवम्बर 2021

क्र. 6303-पंचा. प्रको.-परिसीमन-2021.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 3 एवं 125 के प्रावधानों के अधीन राजस्व जिला बालाघाट के कलेक्टर "द्वारा नीचे दी गई सारणी (जिसे इसके पश्चात् सारणी कहा गया है) के स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित ग्राम पंचायत में स्तंभ (4) में वर्णित ग्राम/ग्रामों के क्षेत्र को सम्मिलित किया जाता है. इस संविलियन के परिणामस्वरूप स्तंभ क्रमांक (3) "ग्राम पंचायत" की सीमा स्तंभ क्रमांक (3) के अनुसार परिवर्तित करते हुए सारणी के स्तंभ (4) में उल्लेखित ग्राम उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिये "ग्राम" के रूप में विनिर्दिष्ट कर सार्वजनिक जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है :—

सारणी

जिला	खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले गांव का नाम	संविलियन के पश्चात् ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाले गांव के नाम	जनसंख्या	पटवारी हल्का क्रमांक
(1) बालाघाट	(2) बिरसा	(3) बोरखेडा	(4) बोरखेडा	(5) बोरखेडा	(6) 931	(7) 41
			सूजी	सूजी	542	41
			छिन्दीटोला	छिन्दीटोला	471	41

योग . . . 1944